राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1735/2024

टिल्लू राम मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2024
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थी को वर्ष 2012 में अध्यापक ग्रेड—III लेवल—2 (संस्कृत) के पद पर नियुक्त किया गया था और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलासपुर (रामगढ़) जिला अलवर में पदस्थापित किया गया तभी से अपीलार्थी वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 30.07.2019 द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलेश्वर में पदस्थापित दर्शाते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैमला (उमरैन) जिला अलवर में स्थानांतरित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2101/2019 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 (अनुलग्नक—2) द्वारा इस आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2019 (अनुलग्नक—3) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरवाला का बास, रामगढ़ में समायोजित कर दिया। उक्त आदेश की पालना में प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर ने आदेश दिनांक 08.08.2019 (अनुलग्नक—4) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.08.2019 (अनुलग्नक—5) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। आदेश दिनांक 5.12.2019 (अनुलग्नक—6) द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 07.08.2019

को रद्द कर दिया और उसे फिर से उसके मूल पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैमला, रामगढ में भेज दिया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालवंडी में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 (संस्कृत) का पद रिक्त है। उक्त स्कूल में अपीलार्थी को समायोजित करने के लिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से संपर्क किया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुरोध पर विचार नहीं किया और अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 17582/2022 दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट का दिनांक 06.01.2023 को निस्तारण कर दिया (अनुलग्नक–7)। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 17.01.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 (संस्कृत) के कई पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को निकटवर्ती स्थान पर पदस्थापित से वंचित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.05.2023 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालवंडी (अलवर) में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 (संस्कृत) के रिक्त पद पर समायोजित कर नियमित वेतन और अन्य लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 17582/2022 में पारित आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा किया गया। प्रस्तुत अपील आलौच्य आदेश जारी होने के एक साल बाद प्रस्तुत की गई एवं अपील में विलम्ब के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। आलौच्य आदेश दिनांक 05.05.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया गया इसमें प्रत्यर्थी विभाग के प्रकरण की विस्तार से व्याख्या कर नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को उचित मानते हुए अभ्यावेदन खारिज करने का सकारण आदेश पारित किया है, जिसमें यह कोई त्रुटि नहीं पाते है। साथ ही आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है अतः इस आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कारण व आधार नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य